मेसर्स मात्सुशिता टेलीविजन एवं ऑडियो (आई) लिमिटेड

बनाम

कमिश्नर ऑफ कस्टमस

12 अप्रेल, 2007

[एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं का निर्धारण) नियम, 1988- 4(2) और 9 (1) (सी)- तकनीकी ज्ञान सहायता का समझौता- सहायता घटको की आपूर्ति और विधिवत आयातित घटको को मंजूरी देने के लिए भी प्रदान की गई- सहायता लेने वाली कम्पनी द्वारा सहायता प्रदान करने वाली कम्पनी को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए समझौता- सहायता लेने वाली कम्पनी द्वारा घटको का आयात (निर्धारिति कम्पनी)- रॉयल्टी भुगतान को घटको के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया गया था। धारित कियाः रॉयल्टी भुगतान की उचित रूप से मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया गया था- समझौते के तहत रॉयल्टी भुगतान न केवल वस्तुओं के घरेलू उत्पादन से संबंधित थी, बल्कि आयात से भी।

अपीलार्थी- निर्धारिति कम्पनी 'एम' का एक संयुक्त उद्यम है। अपीलार्थी के पूर्वजो/पूर्ववर्तियो ने तकनीकी ज्ञान व सहायत प्राप्त करने के लिए कम्पनी 'एम' के साथ एक समझौता किया था। घटको की आपूर्ति और विधिवत आयातित घटको के अनुमोदन के लिए भी तकनीकी सहायता प्रदान की गई। समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को उनके द्वारा विनिर्मित कलर रिसीवर की शुद्ध पूर्व कारखाना बिक्री मूल्य पर 03 प्रतिशत पर रॉयल्टी का भुगतान कम्पनी 'एम' को करना था जो कम्पनी 'एम' द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के लिए की गई थी। निर्णायक प्राधिकारी ने उक्त घटको के मूल्यांकन योग्य मूल्य को रॉयल्टी लागत के भुगतान के साथ जोड़ दिया, यह मानते

हुए कि रॉयल्टी  भुगतान घटको से संबंधित था। उक्त आदेश की बाद में आयुक्त (अपील) और ट्रिब्यूनल द्वारा पुष्टि की गई।

वर्तमान अपील में विचार हेतु प्रश्न यह है कि क्या रॉयल्टी  का भुगतान रंगीन टी.वी. के आयातित घटको से जुड़ा था और यदि हां तो क्या ऐसी रॉयल्टी  भुगतान ऐसे घटको के निर्धारणीय मूल्य में शामिल था ?

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि सीमा शुल्क मूल्यांकन (निर्धारण) के नियम 09(1) (सी) 1988 के तहत केवल ऐसे रॉयल्टी जो आयातित वस्तुओं से संबंधित है और जो अकेले ऐसे वस्तुओं की बिक्री की शर्त है, को जोड़ा जा सकता है और जो अकेले ऐसे वस्तुओं की बिक्री की शर्त है केवल माल को घोषित मूल्य में जोड़ा जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में निरन्तर रॉयल्टी का भुगतान केवल नेट कारखाना बिक्री कीमत के 03 प्रतिशत पर था जिसमें कर, माल ढुलाई और बीमा को छोड़ कर औद्योगिक घटको की लागत शामिल थी। इसके अलावा रॉयल्टी भुगतान की गणना ना केवल रंगीन टीवी के शुद्ध बिक्री मूल्य के शुद्ध घरेलू तत्व पर की जानी थी, बल्कि आयातित घटको की लागत पर भी की जानी थी। समझौते को पढने मात्र से ही पता चलता है कि उक्त समझौते के तहत भुगतान ना केवल भारत में माल के उत्पादन से संबंधित है, बल्कि आयात से भी संबंधित है। वर्तमान मामले में, आयातित घटको की लागत को रंगीन टी.वी. के शुद्ध पूर्व कारखाना बिक्री मूल्य में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इसके अलावा जब कम्पनी 'एम' को अंतिम उत्पाद की बिक्री करने के बाद 03 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया था जिसमें आयातित घटको की लागत सहित अंतिम उत्पाद तैयार माल की बिक्री की एक शर्त बन गई थी। इसलिए, इस मामले में नियमावली के नियम 09(1) (सी) की दोनो शर्ते पूर्ण होती है। [पैरा 07] [54 बी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2002 की सिविल अपील संख्या 526

सीमा शूल्क और स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधीकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली की अपील संख्या सी/120/2001-ए में निर्णय और आदेश संख्या 307/01- ए दिनांकित 24.08.2021 -ए

अपीलार्थी की और से दुष्यंत दवे और विभा दत्ता मखीजा।

उत्तरदाता की ओर से मथाई एम. पैकेडे, शिशिर पिनाकी, के.के. सेंटिलवेलन और बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जस्टिस कपाडिया द्वारा पारित किया गया।

1. केन्द्रीय उत्पाद शूल्क अधिनियम 1944 की धारा 35 एल(बी) के तहत, यह सिविल अपील, केन्द्रीय उत्पाद शूल्क और सीमा शूल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण प्राधिकरण (संक्षेप में सी ई जी ए टी) दिनांक 24.08.2001 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निर्देशित है। उक्त आदेश के द्वारा सी ई जी ए टी ट्रिब्यूनल ने निर्धारिति की अपील को खारिज कर दिया है।

2. इस दीवानी अपील में निर्धारण के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है किः क्या रॉयल्टी भुगतान रंगीन टीवी के आयातित घटको से जुड़ा था और यदि हां, तो क्या ऐसा रॉयल्टी भुगतान एेसे घटको के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल था।

3. अपीलार्थी- निर्धारिति मैसर्स मात्सुशिता इलेक्ट्रीक इंडस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड जापान (संक्षेप में एम.ई.आई) एक संयुक्त उद्यम है। अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती मैसर्स सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड (संक्षेप में एस.आई.एल) थे। वर्ष 1993 में मैसर्स एस.आई.एल ने मैसर्स एम.आई.एल के साथ तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए तथा जानकारी के लिए एक समझौता किया। तकनीकी सहायता और जानकारी मैसर्स एस.आई.एल द्वारा अपीलकर्ताओं को सौपी गई थी। यह 1996 की बात है। खण्ड 6.01

के संदर्भ में, अपीलार्थी को एम.आई.एल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के लिए उनके द्वारा निर्मित रंगीन रिसीवर के शुद्ध पूर्व फैक्ट्री बिक्री मूल्य पर 03 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक था। रॉयल्टी के अलावा अपीलार्थीयों को 02 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान भी तकनीकी जानकारी के हस्तान्तरण के लिए एम.आई.एल को एक मुश्त भुगतान के रूप में करना आवश्यक था।

समझौत के तहत, एम.आई.एल वाणिज्यक कीमतों पर उपकरण बेचकर अपीलार्थीयो की सहायता करने के लिए सहमत हुआ। समझौते के तहत अपीलार्थीयो के पूर्ववर्ती ने मैसर्स बी.एम. नागौरो एण्ड कम्पनी से कलर रिसीवर के घटको का आयात किया जिन्होने बदले में सिंगापुर सहित विभिन्न निर्माताओं से घटको (खरीदे गए आइटम) की खरीद की गई थी।

4. न्यायनिर्णयन आदेश क्रमांक 06/99 दिनांक 20.05.99 द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने वर्ष 1996-97 और 1997-98 वर्षो के लिए उक्त घटको के मूल्य में क्रमशः 02 प्रतिशत और 1.58 प्रतिशत की वृद्धि की। यह सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं े की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 (संक्षेप में मूल्यांकन नियम, 1988) के नियम 4(2) और नियम (1) (सी) के संदर्भ में था। उक्त आदेश की पुष्टि आयुक्त (अपील) ने अपने आदेश क्रमांक 683/2000 दिनांक 15.11.2000 के माध्यम से की। उक्त सम्वर्ती निष्कर्षो की पुष्टि ट्रिब्यूनल/प्राधिकरण के आक्षेपित निर्णय से भी हुई।

न्याय अधिकारी के आक्षेपित निर्णय के अनुसार, घटको के आंकलन योग्य मूल्य को रॉयल्टी भुगतान की लागत के साथ लोड किया जाना आवश्यक था क्योंकि समझौते के तहत अपीलकर्ता एम.आई.एल को शुद्ध पूर्व कारखाना बिक्री मूल्य पर 03 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए सहमती व्यक्त की थी।

ट्रिब्यूनल के अनुसार समझौते को पढने मात्र से यह स्पष्ट था कि घटको से संबंधित रॉयल्टी  भुगतान खण्ड 7.02 के अनुसरण में था।

न्यायाधिकरण के अनुसार, समझौते के तहत तकनीकी सहायता घटको से संबंधित थी क्योकि खण्ड 7.02 के तहत यह निर्धारित किया गया था कि ना केवल एम.आई.एल घटको को बेचने में एस.आई.एल की सहायता करेगा बल्कि एम.आई.एल खुद अपीलकर्ताओं को खरीदे गये घटको को मंजूरी देने में भी सहायता करेगा। समझौते के अनुसार, अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के नमूने निरीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए एम.आई.एल को भेजे जाने थे।

समझौते के अनुसार, खरीदी गई वस्तुओं (घटको) का उपयोग टीवी में केवल तभी किया जा सकता है जब इसे एम.आई.एल द्वारा अनुमोदित किया गया हो। समझौते के तहत एम.आई.एल को ऐसे खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता और विशिष्टताओं को लिखित रूप से मंजूरी देनी थी। इन परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण का विचार था कि तकनीकी सहायता ना केवल घटको की आपूर्ति के लिए बल्कि घटको (खरीदी गई वस्तुओं) के अनुमोदन के लिए भी दी गई। इसके अलावा न्यायाधिकरण के अनुसार, रॉयल्टी की राशि को खरीदी गई वस्तुओं (घटको) के लिए भुगतान की गई कीमत में शामिल किया जाना था। उपरोक्त कारणों से न्यायाधिकरण ने माना की रॉयल्टी  भुगतान एम.आई.एल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के लिए विचाराधीन है और विधिवत आयातित घटको (खरीदी गई वस्तुओं) के आंकलन योग्य मूल्य में रॉयल्टी  लागत भुगतान को शामिल करने में विभाग सही था। उपरोक्त कारणों से, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

इसलिए यह दीवानी अपील है।

5. यह मामला नीचे दिये गये सभी अधिकारियों और सी ई जी ए टी द्वारा दिनांक 20.08.93 के समझौते में शामिल विभिन्न खण्डो की व्याख्या पर किया गया है। इसलिए हम यहां समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे वर्णित कर रहे है जो इस प्रकार हैः

" तकनीकी सहायता और जानकारी समझौता"

1. परिभाषाएं

1.02 "उत्पाद" शब्द का अर्थ एम.आई.एल द्वारा डिजाईन की गई वस्तुओं के एक या अधिक ऐसे मॉडल होंगे जैसा कि एम.आई.एल नियमित रूप से अपने और इसकी सहायक कम्पनियों/सहयोगी कारखानो में निर्माण कर सकता है और जैसा कि इस अवधि के दौरान समय-समय पर चुना जाएगा। लिखित रूप में पक्षकारो के अापसी समझौते से बशर्त है कि एम.आई.एल उत्पादो के रूप में ऐसे विशिष्ट मॉडलों के चयन करने में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.03 (क) "शुद्ध कारखाना बिक्री मूल्य" शब्द का अर्थ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क समुद्री माल ढुलाई और बीमा को छोड़कर सामान्य भुजा की लम्बाई के लेनदेन में एस.आई.एल द्वारा अपने ग्राहको को उत्पादो की बिल की गई बिक्री कीमतो से होगा, लेकिन इसमें लागत भी शामिल होगी। मानक के घटको और आयातित घटको की लागत के घटको को भी शामिल किया गया है।

(ख) एस.आई.एल द्वारा सामान्य भुजा की दूरी के लेनदेन के अलावा बेचे गए, उपयोग किये गये पट्टे पर दिये गये या अन्यथा निपटान किये गये उत्पादो के संबंध में, कीमते एम.आई.एल को रिपोर्ट किये गये सामान उत्पादो की शुद्ध कारखाना बिक्री कीमतो के अंकगणितीय औसत के बराबर है। तत्काल पूर्ववर्ती गणना अवधि (इसके बाद परिभाषित) ऐसे उत्पादो के लिए शुद्ध पूर्व कारखाना बिक्री मूल्य माना जायेगा,

लेकिन यदि रिपोर्ट किये गये सामान उत्पाद नहीं है, तो ऐसे उत्पादो के लिए शुद्ध पूर्व काराखाना बिक्री मूल्य पक्षकारो की आपसी सहमती से निर्धारित किये जाएगें।

1.04 "तकनीकी ज्ञान- कौशल" शब्द का अर्थ लिखित रूप में ऐसे तकनीकी जानकारी है जैसा इस धारा 3.01 में निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें उत्पादो के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और डेटा शामिल होगा।

1. 05 "घटक" शब्द का अर्थ घटक, भाग, सामग्री और या उत्पादो से युक्त उक्त संरचना होगी।

2. तकनीकी सहायत प्रदान करना

2.01 एम.आई.एल एस.आई.एल को खण्ड 02 में वर्णित तरीके से उत्पादो के निर्माण के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है। जिस हद तक दोनो पक्ष आवश्यक समझेंगे, एम.आई.एल द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता में निम्नलिखित मदो को लागू करने के लिए प्रशिक्षण शामिल होगा (इसके बाद इसे तकनीकी सहायता कहा जाएगा):

1. उत्पादो के निर्माण के लिए सलाह और निर्देश,

2. उत्पादो के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले उत्पादन उपकरणों की स्थापना, संचालन और रख रखाव पर सलाह और निर्देश,

3. उत्पादो के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले फैक्ट्री ले आउट पर सलाह और निर्देश, और

4. अन्य आवश्यक सलाह और निर्देश।

2.02 निम्नलिखित निर्दिष्ट तरीको से उत्पादों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

(क) इस समझौते की अवधि के दौरान एस.आई.एल के अनुरोध पर और एम.आई.एल की सहमती से, एम.आई.एल एस.आई.एल के कर्मचारियों को एम.आई.एल या उसकी सहायक कम्पनियों/सहयोगियों से संबंधित विनिर्माण विभाग का दौरा करने की अनुमति देगा जो उत्पादो का निर्माण करते है, एक अवधि के लिए एम.आई.एल उत्पादो के निर्माण की प्रक्रिया प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझा जाता है।

(ख) इस समझौते की अवधि के दौरान, एस.आई.एल के अनुरोध पर और एम.आई.एल की सहमती से एम.आई.एल और एम.आई.एल की सहायक कम्पनीयों/ सहयोगियों के इंजीनियरों को एस.आई.एल के उत्पादो का निर्माण करने वाली फैक्ट्री में उस अवधि के लिए भेजेगा जिसे एम.आई.एल आवश्यक समझें।

(ग) इस धारा 2.02 के (ए) और (बी) में निर्दिष्ट तकनीकी सहायता के लिए किये गये सभी लागत और व्यय (आवास, परिवहन, दोनो तरफ के हवाई कोच और एम.आई.एल के लिए तय वेतन और भत्तों सहित) एम.आई.एल की सहायक कम्पनीयों/ सहयोगियों के इंजीनियरो और एस.आई.एल के कर्मचारियों को एस.आई.एल द्वारा संयुक्त राज्य डॉलर में भुगतान किया जाएगा। यदि इसमें शामिल तकनीकी सहायता के लिए एस.आई.एल द्वारा एम.आई.एल को देय किसी भी लागत और खर्च का भुगतान एम.आई.एल द्वारा किया जाता है, तो एस.आई.एल एम.आई.एल के चालान की एस.आई.एल द्वारा प्राप्ति के तुरन्त बाद संयुक्त राज्य डॉलर में एम.आई.एल की प्रतिपूर्ति करेगा। जेसा भी मामला हो, एस.आई.एल के कारखाने का दौरा करने वाले एम.आई.एल, (सहायक कम्पनीयों/सहयोगियों सहित) के इंजीनीयरों और एम.आई.एल के कारखाने का दौरा करने वाले एस.आई.एल कर्मचारियों की तकनीकी सहायता के लिए नियमों व शर्तो का विवरण ऐसे यात्रा से पहले पक्षकारो के बीच लिखित रूप में पुष्ट किया जाएगा।

4. तकनीकी सहायता और तकनीकी जानकारी का उपयोग- कैसे

4.01 इस समझौते की अवधि के दौरान एम.आई.एल एस.आई.एल को भारत में एस.आई.एल के कारखानो में उत्पादो के तकनीकी सहायता और तकनीकी जानकारी का निर्माण और पूरे भारत में ऐसे उत्पादो की बिक्री के लिए एक गैर अनन्य और गैर हस्तान्तरणीय लाईसेंस देने पर सहमत है। हालांकि, यह अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में एम.आई.एल एस.आई.एल को केवल बुक किये गये ओर्डर के लिए भारत में एस.आई.एल के कारखानो में उत्पादो के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और तकनीकी जानकारी का उपयोग करने के लिए एक गैर विशिष्ट और गैर हन्तान्तरणीय लाईसेंस देने के लिए सहमत है।

4.02 यहां एस.आई.एल को उपलब्ध कराई गई तकनीकी सहायता और तकनीकी जानकारी का उपयोग केवल एस.आई.एल के भारत में अपने कारखाने में उत्पादो के स्वयं के निर्माण के लिए किया जाएगा, और एस.आई.एल यह वचन देता है कि एस.आई.एल को यहां उपलब्ध कराई गई ऐसे तकनीकी सहायता और तकनीकी जानकारी का उपयोग किया जाएगा। ना तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित किया जाएगा और ना ही किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा। यहां प्रयुक्त शब्द "तृतीय पक्ष" का अर्थ कोई भी ऐसा पक्ष होगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

06. पारिश्रमिक

6.01 तकनीकी सहायता का भुगतानः

ए. खण्ड 02 के तहत एम.आई.एल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता व खण्ड 4 के तहत दिये गये लाईसेंस को ध्यान में रखते हुए, एस.आई.एल, एम.आई.एल को एस.आई.एल द्वारा निर्मित और बेचे गये, उपयोग किये गये, पट्टे पर दिये गये या

अन्यथा निपटान किये गये उत्पाद के शुद्ध पूर्व कारखाना बिक्री मूल्यो पर 03 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

बी. एस.आई.एल यहां संलग्न प्रारूप ए और बी के रूप में एम.आई.एल द्वारा लिखित रॉयल्टी रिपोर्ट को अग्रेषित करने के लिए सहमत है, जिसे प्रत्येक गणना अवधि की समाप्ति के बाद 90 दिनो के भीतर एस.आई.एल द्वारा बनाये गये सार्वजनिक लेखाकार द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किया जाएगा, जिसमें गणना अवधि से तुरन्त पूर्व अवधि के दौरान एस.आई.एल द्वारा निर्मित, बेचे गये, उपयोग किये गये, पट्टे पर दिये गये अन्यथा निपटान किये गये सभी उत्पादो की संख्या निर्धारित की जाएगी और इस खण्ड 06 के प्रावधानो के अनुसार देय रॉयल्टी की गणना और कर की कटौती को भी दिखाया जाएगा।

07. उत्पादन, उपकरण और घटक

7.02 घटक

ए. इसके निहित तकनीकी सहायता के अलावा एम.आई.एल एस.आई.एल के उचित अनुरोध पर एस.आई.एल के घटको को बेचकर उत्पादों के निर्माण में यथासंभव एस.आई.एल की सहायता करेगा।

बी. एस.आई.एल, यदि चाहे तो उत्पादो के निर्माण में एम.आई.एल के अलावा अन्य स्त्रोतो से उपलब्ध कुछ घटको का उपयोग कर सकती है, यदि एस.आई.एल पहले एेसे घटको के नमूनो की उचित मात्रा को निरीक्षण के लिए एम.आई.एल को भेजती है और यदि तब एम.आई.एल लिखित रूप से घटको की गुणवत्ता व विशिष्टताओं को मंजूरी देती है।

7.03 एम.आई.एल द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरण और घटको की बिक्री व खरीद एम.आई.एल और एस.आई.एल के बीच भुगतान और अन्य शर्तो के तहत

वाणिज्य कीमतो पर की जाएगी और जापानी सरकार या भारत सरकार या इससे संबंधित अधिकारियों के, जैसी भी स्थिति हो, अधीन होगी। विशेष रूप से एम.आई.एल व एस.आई.एल को आपूर्ति किये गये उत्पादन उपकरण और घटको की खरीद मूल्य का भुगतान संबंधित पक्षों के बीच सहमत होने वाले नियमों और शर्तो के तहत एम.आई.एल द्वारा नामित जापानी शिपर्स के माध्यम से किया जाएगा।

7.04 एम.आई.एल से एस.आई.एल तक उत्पादन उपकरण और घटको की आपूर्ति यहां उपर निर्धारित एस.आई.एल के स्वयं के उत्पादो के निर्माण के एक मात्र उद्देश्य के लिए है और जब तक कि एम.आई.एल द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति ना हो, उत्पादन उपकरण और घटको की कोई भी वस्तु यहां एम.आई.एल द्वारा आपूर्ति की गई है, जबतक कि एम.आई.एल द्वारा सहमति नहीं दी गई हो।

06. उपरोक्त समझौते को पढने पर निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। खण्ड 1.03 के तहत शब्द "नेट-फैक्ट्री बिक्री मूल्य" को करों, माल ढुलाई और बीमा को छोड़कर सामान्य हाथ की लम्बाई के लेनदेन में अपीलकर्ताओं द्वारा अपने उत्पादो के लिए अपने ग्राहको को बिल की गई बिक्री मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन खरीदी गई लागत भी शामिल है। (बाहर के घटक और आयातत घटकों की लागत।) खण्ड 1.04 के तहत "तकनीकी जानकारी" शब्द को खण्ड 3.01 में निर्दिष्ट रंगीन टीवी के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया था। जिस तकनीकी जानकारी को अपीलकर्ताओं को प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, उसमें टी.वी. सेट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटको की गुणवत्ता नियंत्रण मानक और विनिर्देश शामिल शामिल थे। इसके अलावा, खण्ड 2.01 के तहत यह सहमति हुई कि एम.आई.एल अपीलकर्ताआे को उक्त खण्ड में दिये गये तरीके से टीवी सेट के निर्माण के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उक्त खण्ड 2.02(सी) के तहत, तकनीकी सहायता के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए सभी

लागत, शुल्क और व्यय का भुगतान अपीलकर्ताओं द्वारा अमेरिकी डॉलर में किया जाना था। इसके अलावा खण्ड 4.01 के तहत, एम.ई.आई अपीलकर्ताओं को भारत में अपीलकर्ताओं के कारखाने में रंगीन टी.वी. के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता व तकनीकी जानकारी का उपयोग करने और पूरे भारत में ऐसे उत्पादो की बिक्री के लिए लाईसेंस देने पर सहमत हुआ। खण्ड 6.01 के तहत, एम.ई.आई द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता पर विचार करते हुए और एम.ई.आई द्वारा अपीलकर्ताओं को दिये जाने वाले लाईसेंस पर विचार करते हुए यह सहमति हुई कि अपीलकर्ता एम.ई.आई को निर्मित और बेच गए रंगीन टीवी के शुद्ध पूर्व- कारखाना बिक्री मूल्य पर 03 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। इसके अलावा, इस बात पर सहमति हुई कि तकनीकी सहायता के अलावा, एम.आई.एल अपीलकर्ताओं को घटको को बेचकर रंगीन टीवी के निर्माण में अपीलकर्ताओं की सहायता करेगा। समझौते के तहत, पार्टियां इस बात पर भी सहमत हुई कि यदि अपीलकर्ता खरीदे गये घटको का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि उक्त घटक निरीक्षण के लिए एम.आई.एल को अग्रेषित किया जाए और यदि एम.आई.एल ऐसे खरीदे गये घटको की गुणवत्ता और विशिष्टताओं को मंजूरी देता है तो अकेले अपीलकर्ता रंगीन टीवी के निर्माण में ऐसे घटको का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

07. इस सिविल अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह हैः कि क्या रॉयल्टी भुगतान आयातित घटको से जुड़ा था। आयातित माल के मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 09(1)(सी), केवल ऐसे रॉयल्टी जो संबंधित है और जो अकेले ऐसे माल की बिक्री की शर्त है, घोषित मूल्य में जोड़ी जा सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में जारी रॉयल्टी का भुगतान रंगीन टीवी के शुद्ध पूर्व-कारखाना बिक्री मूल्य के 03 प्रतिशत की दर से देय था, जिसमें कर, माल ढुलाई और बीमा शामिल नहीं था, लेकन इसमें आयातित घटको की लागत भी शामिल थी। दूसरे शब्दो में, रॉयल्टी

भुगतान की गणना न केवल रंगीन टीवी के शुद्ध बिक्री मूल्य के घरेलू तत्व पर बल्कि आयातित घटको की लागत पर भी की जानी थी। समझौते को पढने से पता चलता है कि उक्त समझौते के तहत भुगतान न केवल भारत में माल के उत्पादन से संबंधित है बल्कि आयात से भी संबंधित है। निर्धारित की और से उद्धृत कुछ निर्णयों में, हमने पाया कि तैयार उत्पादो की शुद्ध पूर्व- कारखाना बिक्री की कीमत में आयातित घटको की लागत को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। दूसरी और वर्तमान मामले में, आयातित घटको की लागत को रंगीन टीवी के शुद्ध पूर्व- कारखाना बिक्री मूल्य में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इसके अलावा, जब एम.आई.एल को भुगतान अंतिम उत्पाद की बिक्री के 03 प्रतिशत की दर से किया गया जिसमें आयातित घटक की लागत भी शामिल थी तो यह तैयार माल की बिक्री की शर्त बन गई। अंतिम उत्पाद, आयातित घटक की लागत सहित, यह तैयार माल की बिक्री की शर्त बन गया। इसलिए, इस मामले में मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 9(1)(सी) की दोनो शर्ते पूरी होती है।

08. उपरोक्त कारणों से, हम इस सिविल अपील में कोई योग्यता नहीं पाते है और तद्नुसार लागत के बारे में कोई आदेश दिये बिना इसे खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनी वालिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।